न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सिमरिया।

विविध वाद संख्या–19/2023–24

1. सुखदेव राम, पिता–बेनी चमार।
साकिन–मंडई, थाना–सदर, जिला–हजारीबाग..प्रथम पक्ष

बनाम

1. मंगती देवी, पति–नन्दकिशोर गंझू
2. वजीर महतो, पिता–उतिर महतो
3. रामटहल यादव, पिता–ना मालुम
4. चैती देवी, पति–जगदेव गंझू
5. सोमरी देवी, पति–बासुदेव गंझू
6. लखन उराँव
7. मंगर उराँव
8. बहादुर उराँव
9. सोमर उराँव, चारों के पिता–मधिया उराँव
सभी साकिन–बाई, थाना–गिद्धौर, जिला–चतरा .... द्वितीय पक्ष

–आदेश–

1. इस वाद की प्रक्रिया आवेदक–सुखदेव राम, पिता–स्व0 बेनी चमार, साकिन–मंडई, थाना–सदर, जिला–हजारीबाग के आवेदन पर प्रराम्भ किया गया है, इस वाद में द्वितीय पक्ष मंगती देवी, पति–नन्दकिशोर गंझू एवं अन्य कुल–09 सभी साकिन–बाई, थाना–गिद्धौर,जिला–चतरा है। इस न्यायालय में संधारित वाद से संबंधित विवादित भूमि की विवरणी निम्नवत् है:–

मौजा का नाम	खाता नं0	प्लॉट संख्या	कुल रकबा	अभ्युक्ति
बाई	2	141, 187, 231 224, 227, 228, 230, 231, 234 235, 529, 519 535, 599, 220/717, 220 498, 516	18.37 एकड़	

2. यह कि प्रथम पक्ष के द्वारा लिखित कथन/बहस दाखिल कर न्यायालय को बताया गया कि:–

(2.1) यह कि प्रश्नगत भू–खण्ड प्रथम पक्ष के सदस्य सुखदेव राम, पिता–स्व0 बेनी चमार, को जमीनदार गोवर्धन लाल, पिता–ठाकुर प्रसाद से दिनांक–15.05.1928 ई0 को हुकुमनामा से प्राप्त है।

(2.2) यह कि प्रश्नगत भू–खण्ड सर्वे खतियान में ठाकुर प्रसाद के नाम से दर्ज है, ठाकुर प्रसाद के मृत्यु उपरान्त पुत्र गोवर्धन लाल द्वारा बेनी चमार को हुकुमनामा के

माध्यम से दे दिया गया था। भूमि प्राप्त होने के उपरान्त जमाबंदी कायम हो कर लगान रसीद वर्ष–1960–61 तक निर्गत है।

(2.3) यह कि प्रश्नगत भू–खण्ड पर बेनी चमार अपने जिवन काल तक दखल कब्जा में रहे तथा इनके मृत्यु उपरान्त उनके पुत्र सुखदेव राम दखल कब्जा में आए।

(2.4) यह कि प्रश्नगत भू–खण्ड प्रथम पक्ष को हुकुमनामा से प्राप्त है फिर किस आधार पर विभिन्न रैयतों के नाम से पंजी–2 में नाम दर्ज है तथा लगान रसीद निर्गत हो रहा है वे सरा–सर गलत है। रैयतों के पास कोई भी कागजात उपलब्ध नहीं है सिर्फ अंचल कार्यालय को अपने मेल में लाकर जमाबंदी कायम करवा लिया गया है।

(2.5) अंचल अधिकारी, गिद्धौर के द्वारा दिनांक–04.08.2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम–बाई, थाना संख्या–37, अंचल गिद्धौर अंतर्गत खाता संख्या–02, प्लॉट संख्या–141 एवं अन्य कुल रकवा–18.37 ए0 भूमि सर्वे खतियान में बकास्त लगान पाने वाले ठाकुर प्रसाद का नाम अंकित है। तथा जमीनदारी हुकुमनामा के माध्यम से बेनी चमार, पिता–खेदन चमार, को दे दिया गया था तथा लगान रसीद वर्ष–1960–61 तक निर्गत है।

(2.6) यह की प्रश्नगत भू–खण्ड पर प्रथम पक्ष का दखल कब्जा था। प्रथम पक्ष सुखदेव राम नौकरी जिविकोपार्जन हेतु दुसरे जगह निवास करने लगे इसी का लाभ उठाकर द्वितीय पक्ष द्वारा फर्जी कागजात के आधार पर अवैध जमाबंदी कायम करवा लिया गया है जबकि हुकुमनामा वर्ष–1928 से 1960 तक प्रथम पक्ष के जमाबंदी कायम थी। अनुरोध है कि द्वितीय पक्ष की अवैध जमाबंदी को निरस्त करते हुए प्रथम पक्ष की जमाबंदी कायम करने की कृपा करें।

(2.7) प्रथम पक्ष के द्वारा अपने दावे समर्थन में 1. जमीनदारी लगान रसीद 2. ऑफलाईन लगान रसीद 3. क्रमिक खतियान की प्रतिक 4. सादा हुकुमनामा की प्रति 5. दान पत्र की छाया प्रति संलग्न किया गया है।

3. दूसरी ओर द्वितीय पक्ष द्वारा लिखित कथन/बहस दाखिल कर न्यायालय को बताया गया कि:–

(3.1) यह कि प्रथम पक्ष द्वारा लाया गया वाद निराधार है तत्काल खारिज करने योग्य है। प्रथम पक्ष जाली राजस्व कागजता के आधार पर प्रश्नगत भू–खण्ड का दावा कर रहे हैं, जबकि प्रथम पक्ष का कभी भी दखल कब्जा नहीं रहा है। 100 वर्षो के बाद द्वितीय पक्ष को परेशान करने एवं भूमि हड़पने के नियत से वाद लाया गया है।

(3.2) यह कि प्रश्नगत भू–खण्ड सर्वे खतियान में बकास्त खाते की भूमि ठाकुर प्रसाद के नाम से दर्ज है। प्रथम पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया वर्ष–1928 का हुकुमनामा जाली है।

(3.3) यह कि प्रथम पक्ष के द्वारा बताया गया कि सर्वे रैयत ठाकुर प्रसाद का मृत्यु उपरान्त उनके पुत्र गोवर्धन लाल द्वारा बेनी चमार के नाम से हुकुमनामा के माध्य से बन्दोबस्त कर दिया गया इसके उपरान्त जमाबंदी कायम कर दिया गया ये

Scanned with OKEN Scanner

सरासर गलत है । जब सुखदेव राम बेनी चमार के एक मात्र पुत्र थे तो फिर पिता के द्वारा पुत्र प्रश्नगत भू-खण्ड का दान पत्र देना समझ से परे है।

(3.4) यह की वर्तमान में प्रश्नगत भू-खण्ड का ऑनलाईन पंजी-2 के पृष्ठ संख्य-1/2 पर खाता संख्या-2 की भूमि कुल रकवा-17.16 ए0 दर्ज है, तथा प्राधिकार कॉलम में लगान रसीद अगले आदेश तक निर्गत नहीं करें दर्ज है। पंजी-2 के पृष्ठ संख्या-2/6 पर रकवा-0.75 ए0 भूमि रामटहल यादव एवं अन्य का नाम दर्ज है। तथा प्राधिकार कॉलम में अंचल इटखोरी का दाखिल-खारिज का वाद संख्या-41/1981-82 दर्ज है।

(3.5) यह कि प्रश्नगत भू-खण्ड में से सोमरी देवी, पति-वासुदेव गंझू को प्लॉट संख्या-235 में रकवा-0.12 ए0 भूमि, चौती देवी, पति-जगदेव गंझू को प्लॉट संख्या-234, में रकवा-0.12 ए0 भूमि एवं मंकती देवी, पति-नन्दकिशोर गंझू को प्लॉट संख्या-532 में रकवा-0.12 ए0 भूमि वासीगत पर्चा के माध्यम से प्राप्त है। बासीगत पर्चा मिलने के उपरान्त से ही जमाबंदी कायम हो कर लगान रसीद निर्गत हो रहा है । उक्त भू-खण्ड पर 100 वर्षो से द्वितीय पक्ष का कब्ज है। प्रथम पक्ष का कभी भी दखल कब्जा नहीं रहा है। अनुरोध है कि प्रथम पक्ष के आवेदन को अस्वीकृत करने की कृपा करें।

(3.6) द्वितीय पक्ष अपने दावे के समर्थन में 1. बन्दोबस्ती पर्चा संख्या-02/2003-04, 03/2003-04 एंव 04/2003-04 की छाया प्रति 2. लगान रसीद की छाया प्रति 3. ऑनलाई पंजी-2 की छाया प्रति 4. खतियान की छाया प्रति संलग्न किया गया है।

4. अंचल अधिकारी, गिद्धौर के पत्रांक-67, दिनांक-10.02.2025 द्वारा प्रश्नगत् भू-खण्ड से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त है, जो निम्न प्रकार है:-

I ग्राम-बांय के खाता सं0-02, प्लॉट सं0-141, 187, 224, 227, 228,230, 231, 234, 235, 529, 519, 535, 220/717, 220, 498 एवं 516 कुल रकबा-18.37 ए0 भूमि सर्वे खतियान में बकास्त खाते की भूमि है। लगान पाने वाले का नाम ठाकुर प्रसाद है।

II ऑनलाईन पंजी- II में जमाबंदी की जाँच की गई, जो निम्न प्रकार है:-

(01) गोवर्धन लाल, पिता-ठाकुर प्रसाद के नाम से खाता सं0-02 कुल रकबा-17. 16 एकड़ भूमि की पृष्ठ संख्या-1/2 पर ऑनलाईन जमाबंदी दर्ज है। परिवर्तन के लिए प्राधिकार कॉलम में अगले आदेश तक रसीद निर्गत न करें अंकित है।

(02.) रामटहल यादव वगै0 के नाम से खाता सं0-02 रकबा-0.75 ए0 भूमि की पृष्ठ सं0-2/6 पर ऑनलाईन जमाबंदी दर्ज है। परिवर्तन के लिए प्राधिकार कॉलम में अंचल अधिकारी, ईटखोरी के दा0खा0 वाद सं0-41/81-82 अंकित है।

(03.) लखन उराँव, मंगरू उराँव, बहादुर उराँव, सोमर उराँव, पिता-मछिया उराँव के नाम से खाता सं0-02, रकबा-16.68 ए0 भूमि की पृष्ठ सं0-2/186 पर ऑनलाईन जमाबंदी दर्ज है। परिवर्तन के लिए प्राधिकार कॉलम में "शिविर दा0खा0

Scanned with OKEN Scanner

केश नं0–135/2012–13 एवं यह जमाबंदी कहां से लाकर दर्ज किया गया है अंकित नहीं है।" अंकित है।

(04) सोमरी देवी, पति बासुदेव गंझू के नाम से खाता सं0–02, रकबा–0.12 ए0 भूमि पृष्ठ सं0–3/95 पर ऑनलाईन जमाबंदी दर्ज है।

(05) चेती देवी, पति–जगदेव गंझू के नाम से खात सं0–02, प्लॉट सं0–234, रकबा–0.12 ए0 भूमि पृष्ठ सं0–3/96 पर ऑनलाईन जमाबंदी दर्ज है। परिवर्तन के लिए प्राधिकार कॉलम में बासगीत पर्चा केश नं0–03/03–04 अंकित है।

(06) मंगती देवी पति–नन्दकिशोर गंझू के नाम से खाता सं0–02, प्लॉट सं0–532, रकबा–0.12 ए0 भूमि पृष्ठ सं0–3/96 पर ऑनलाईन जमाबंदी दर्ज है। परिवर्तन के लिए प्राधिकार कॉलम में बासगीत पर्चा केश नं0–04/03–04 अंकित है।

III स्थानीय जाँच में ग्रामिणों द्वारा बताया गया कि प्रथम पक्ष ग्राम बांय में नहीं रहते है। तथा विवादित भूमि पर दखल–कब्जा नहीं है तथा विवादित भूमि का ऑनलाईन जमाबंदी प्रथम पक्ष के नाम से नहीं है।

IV स्थानीय जाँच में ग्रामिणों द्वारा बताया गया कि द्वितीय पक्ष लखन उराँव, मंगरू उराँव, बहादुर उराँ, सोमरा उराँव पिता–मछिया उराँव एवं रामटहल यादव ग्राम बांय में नहीं रहते है। तथा विवादित भूमि पर दखल कब्जा नहीं है।

V स्थानीय जाँच में ग्रामिणों द्वारा बताया गया कि द्वितीय पक्ष बजीर महतो, पिता–उतीर महतो का विवादित भूमि पर दखलकार हैं परन्तु इनके नाम से ऑनलाईन पंजी– II संधारित नहीं है।

VI स्थानीय जाँच में ग्रामिणों द्वारा बताया गया कि द्वितीय पक्ष मंगती देवी पति–नन्दकिशोर गंझू, सोमरी देवी, पति–बासुदेव गंझू, चेती देवी, पति–जगदेव गंझू ग्राम बाय के निवासी हैं तथा अपने नाम स`चल रहे जमाबंदी भूमि पर मकान बना कर एवं घरबारी के रूप में दखलकार है।

VII स्थानीय जाँच में पाया गया कि ग्राम बांय के ग्रामिणों का विवादित भूमि पर दखल कब्जा हैं। विवादित भूमि पर बहुत से ग्रामिण कई वर्षों से मकान बना कर निवास कर रहें है एवं खेती–बारी कर अपने परिवारों का जीवन यापन कर रहें है।

4. उपरोक्त परिपेक्ष्य में उभय पक्षों द्वारा दाखिल लिखित कथन/लिखित बहस एवं राजस्व कागजातों के अवलोकन, विद्वान अधिवक्ता के बहस सुनने के उपरान्त तथा अंचल अधिकारी, गिद्धौर के प्रतिवेदन अवलोकनोपरांत निम्न तथ्य पाया गया :–

i. प्रथम पक्ष द्वारा दावा किया गया है कि प्रश्नगत भू–खण्ड आवेदक सुखदेव राम के पिता–बेनी चमार को हुकुमनामा से जमीनदार गोवर्धन लाल से प्राप्त है तथा जमाबंदी कायम हो कर वर्ष– 1960–61 तक लगान रसीद निर्गत है परन्तु अंचल अधिकारी, गिद्धौर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भू–खण्ड की जमांबदी अभी भी गोवर्धन लाल के नाम से खाता सं0–02 कुल रकबा–17.16 एकड़ भूमि की पृष्ठ संख्या–1/2 पर ऑनलाईन जमाबंदी दर्ज है ना कि बेनी चमार के नाम से। परिवर्तन के लिए प्राधिकार कॉलम में अगले आदेश तक रसीद निर्गत न करें अंकित है। इससे प्रथम पक्ष का दावा संदेहात्मक प्रतित होता है।

Scanned with OKEN Scanner

ii. अंचल अधिकारी, गिद्धौर से प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि द्वितीय पक्ष की सोमरी देवी, पति–वासुदेव गंझू को बासीगत पर्चा संख्या–02/2003–04, चैती देवी, पति–जगदेव गंझू को बासीगत पर्चा संख्या–03/2003–04, एवं मंगती देवी, पिता–नन्दकिशोर गंझू को बासीगत पर्चा संख्या– 04/2003–04 से प्रति रैयत 0.12 ए0 भूमि प्राप्त है। साथ ही अंचल अधिकारी, द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि प्रथम पक्ष का प्रश्नगत भू–खण्ड पर कभी भी प्रथम पक्ष का दखल कब्जा नहीं रहा है।

अतएव उक्त परिपेक्ष्य में प्रथम पक्ष का आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाता है। असंतुष्ट पक्ष सक्षम न्यायालय में जाने हेतु स्वतंत्र है। वाद की अग्रेतर कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

08/10/2025

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

08/10/2025

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

Digitally signed by Sunny Raj
Date: 2025.10.10 17:55:44 +05:30
Location: 10.93.203.98

Scanned with OKEN Scanner